यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग** के माह **11/2000** से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **ए. के. श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **31.10.2018** से **03.11.2018** तक श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **11/2015** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **गढ़वाल परिक्षेत्र, रूद्रप्रयाग**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	284.80	225.63	41.55	29.06	-	71.66
2016-17	-	-	296.65	238.65	71.72	44.22	-	85.49
2017-18	-	-	288.28	281.82	66.03	45.59	-	26.90
2018-19 (08/18)	-	-	282.78	205.96	43.24	22.76	-	97.24

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिविल जज (सी०डी०)
सिविल जज (जू०डी०)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रधान सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि लेखापरीक्षा में कार्यालय, जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/03, 03/04, 03/06 02/09, 03/14, 03/15, 03/17, एवं 03/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः1-</u> आयकर की कटौती कर जमा न किया जाना रू 46587/-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-सी के अन्तर्गत रू 30000 से अधिक की धनराशि के भुगतान करते समय 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जायेगी।

कार्यालय के व्यय बाउचर्स की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004 से वित्तीय वर्ष 2017 तक के बिलों से रू 46587 आयकर की कटौती किये बिना रू 2329344 भुगतान कर दिया गया था।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन किया जायगा।

अतः रू 46587 आयकर की कटौती कर जमा न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

क्र.सं.	मद का नाम	दिनांक	धनराशि	2 प्रतिशत की दर से आयकार की कटौती न किया जाना
1.	कर्यालय व्यय	16.03.2004	172780	3456
2.	कम्प्यूटर क्रय	28.03.2004	134599	2692
3.	कम्प्यूटर क्रय	19.03.14	700000	14000
4.	फनीचर क्रय	22.02.2015	225000	4500
5.	फर्नीचर क्रय	28.02.2015	49938	999
6.	लेखन सामग्री	24.03.2015	41938	839
7.	फर्नीचर क्रय	26.03.2015	350783	7016
8.	फर्नीचर क्रय	26.03.2015	58481	1170
9.	फर्नीचर क्रय	26.03.2015	208500	4170
10.	फर्नीचर क्रय	26.03.2015	123491	2470
11.	फर्नीचर क्रय	26.03.2015	74333	1487
12.	फर्नीचर क्रय	26.03.2015	25381	508
13.	फर्नीचर	26.03.2016	25.885	518
14.	कम्प्यूटर क्रय	21.06.2916	40600	812
15.	लेखन सामग्री	19.11.2016	48645	973
16.	फर्नीचर	27.03.2017	48990	980
	योगः		2329344	46587

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः2-</u> रू 861 लाख व्यय के बाद भी उददेश्यों की पूर्ति न होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च, 2005 में जनपद रूद्रप्रयाग में जिला न्यायाधीश कार्यालय के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में रू 861 लाख की धनराशि व्यय हतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई। जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त रू 100 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दिया गया। इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग को नामित किया गया। इसी के तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू 100 लाख, वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू 100 लाख, वित्तीय वर्ष 2009-10 में रू 80 लाख, वित्तीय वर्ष 2010-11 में रू 200 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू 100 लाख इस प्रकार कुल रू 861 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दिया गया ।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि उक्त निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 से निर्माण प्रारम्भ किये जाने के बाद 13 वर्ष बाद भी सम्प्रेक्षा तिथि 10/2018 तक केवल अनावासीय भवन का प्रथम एवं द्वितीय तल का कार्य पूर्ण परन्तु हस्तगत नहीं हुए है एवं तृतीय तल का कार्य प्रगति में है। आवासीय भवन हेतु चयनित भूमि अनुपयुक्त पाये जाने पर अन्य स्थान पर भूमि का चयन किया गया है। इस कारण आवासीय भवन का कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि समय-समय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डिजाइन में परिवर्तन व समय से धनराशि अवमुक्त न होने के कारण विलम्ब हुआ एवं आवासीय भवन हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ। उत्तर मान्य नही है क्योंकि 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक उक्त कार्य पूर्ण होकर हस्तगत नही हो सका है।

अतः रू 861 लाख व्यय के बाद भी उददेश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री आर एस पाण्डेय	विशेष कार्याधिकारी	05.10.1998	19.04.1999
2	श्री आर सी रवि	विशेष कार्याधिकारी	07.05.1999	31.03.2001
3	श्री जय देव सिहं	इन्चार्ज	31.03.2001	04.09.2001
4	श्री आर के शर्मा	जिला न्यायाधीश	04.09.2001	15.04.2004
5	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता	जिला न्यायाधीश	17.04.2004	01.02.2006
6.	श्री कंवर सेन	जिला न्यायाधीश	01.02.2006	25.11.2006
7.	श्री एन एस धनिक	जिला न्यायाधीश	29.11.2006	29.05.2008
8.	श्री आर सी कुकरेती	जिला न्यायाधीश	30.05.2008	01.09.2008
9.	श्री डी.पी. गैरोला	जिला न्यायाधीश	05.09.2008	13.10.2008
10	श्रीमती मीना तिवारी	जिला न्यायाधीश	14.10.2008	24.12.2009
11.	श्री गिरधर सिंह धर्मसत्तू	जिला न्यायाधीश	24.12.2009	01.05.2013
12.	श्री आर सी कुकरेती	जिला न्यायाधीश	02.05.2013	09.09.2013
13.	श्री उत्तम सिंह नबीयाल	जिला न्यायाधीश	10.09.2013	17.09.2013
14.	श्री आशीष नैथानी	जिला न्यायाधीश	17.09.2013	01.05.2017
15.	श्री हरीश कुमार गोयल	जिला न्यायाधीश	01.05.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र